न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 46/19
(जीसीएमएस संख्या 2019/00202)

निर्णय दिनांकः 19-07-2022

1. जीयानाथ पुत्र भैराराम जाति सिद्व निवासी रूणियॉ बड़ा बास तहसील बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. इब्राहिम खॉ
2. पठान खॉ
3. नजीर खॉ
4. नसीब खॉ
5. मुमताज खॉ
6. महेन्द्र खॉ
7. सुभान खॉ
8. अलीशेर
9. सुलोचना
10. संजना पत्नी मांगी खॉ
    समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम रूणिया बड़ा बास तहसील व जिला बीकानेर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर
12. उपपंजीयक, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 27—08—2019
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश दिनांक 27–08–2019 जिसके द्वारा अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि साबिका खसरा नम्बर 416/16 तादादी 76 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलांट् को आवंटित भूमि है। जिस पर अपीलांट् मौके पर काबिज काश्त होकर रिहायशी ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। जिसके हाल बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर 27 तादादी 5.91 हेक्टर, खसरा नम्बर 1502/27 तादादी 4.09 हेक्टर व खसरा नम्बर1161/27 में पश्चित की तरफ 1.61 हेक्टर इस प्रकार 11.61 हेक्टर पैमूद हुए है। दौराने सेटलमेंट भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो नक्शा बनाया गया है, उसमें अपीलांट् की खातेदारी भूमि 11.61 हेक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 1502/27 की भूमि 4.09 हेक्टर अपीलांट् के खाते में दर्ज करने के बजाय रेस्पोडेन्ट्स के पिता–पति श्री मांगी खॉ के खाते में दर्ज कर दी गई व खसरा नम्बर 1161/27 की शेष भूमि 4.09 हेक्टर भूमि प्रार्थी के खाते में डालते हुए प्रार्थी के खाते की जोड़ 11.61 हेक्टर पूरी कर दी गई जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1502/27 में रही है।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त गलत रूप से किये गये इन्द्राज का फायदा उठाते हुए अपीलांट् को मौके से बेदखल करने व आराजी जैर को दिगर व्यक्तियों को बेचान करने का प्रयास किये जाने की स्थिति में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट् के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, परन्तु कालान्तर में आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों, मौके की स्थिति व खेत पड़ौसियों के बयानों के विपरीत जाकर खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए यह कथन किया गया था कि अपीलांट्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, व मात्र भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जबकि प्रकरण में यह निर्विवाद कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् के धारण व कब्जे काश्त की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट्स के पक्ष में साबित है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के हक वहकूकों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसीस्थिति में यदि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ तथा मुकदमें की आवृति बढ़ेंगी। उक्त तमाम तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि बिन्दुओं पर विधि विरूद्व तरीके से विवेचना किये जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् दावे के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 1998 पेज 610, आरआरडी 1998 पेज 206, सीसीआर 1994 पेज 424, आरआरडी 1987 पेज 593, एआईआर 1996 पेज 98, आरबीजे 1995 पेज 476, आरबीजे 1999 पेज 414 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

3. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट् जिस भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग कर रहे है उक्त भूमि अपीलांट् के धारण व कब्जे काश्त की भूमि नहीं होकर रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि है। अपीलांट् अपने कब्जे काश्त के विपरीत जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अपीलांट् अदालत मातहत के समक्ष यह कथन करते हुए आये है कि वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट विभाग की गलती के कारण रेस्पोडेन्ट्स के पिता/पति के नाम दर्ज हो गई है, परन्तु अपीलांट् द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में न तो अदालत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे अपीलांट् के इस कथन को कोई बल प्राप्त होता हो कि उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग की त्रूटि के कारण रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता के नाम दर्ज की गई है। जबकि उक्त भूमि रेस्पाडेन्ट्स की खातेदारी भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट्स काबिज काश्त है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती नाही उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द ही किया जा सकता है। अपीलांट् द्वारा रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर ही अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विस्तृत विवेचन अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा मिथ्या कथनों पर अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 344, आरआरडी 2011 पेज 562, आरआरडी 1991 पेज 324, डब्ल्यूएलएन 1990 पार्ट I पेज 506, आरबीजे 2018 पेज 562, आरआरडी 1992 पेज 640 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

5. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्/प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना का आधार यह लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रूणिया बड़ा बास के खसरा नम्बर 1502/27 तादादी 4.09 हेक्टर भूमि अपीलांट् को विधिवत आवंटित भूमि है जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत इन्द्राज करते हुए रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता के नाम दर्ज कर दी गई है। जबकि उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता का कोई सरोकार नहीं है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन कि उक्त भूमि उनकी खातेदारी भूमि है तथा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश व पत्रावली के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रूणिया बड़ा बास के खेत खसरा नम्बर 1502/27 की भूमि 4.09 हेक्टर भूमि के बाबत् अधिकारों की धोषणा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वादपत्र में तय होनी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् राजस्व नक्शें व मौके की स्थिति में जो भिन्नता बताई जा रही है, उसका निस्तारण राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा एवं मौका निरीक्षण के द्वारा ही तय किया जा सकता है। उक्त स्थिति न्यायालय के समक्ष आने के उपरान्त ही वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त कार्यवाही के दौरान यदि पक्षकारों द्वारा वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आदि किया जाता है तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से तनाव व मुकदमेंबाजी बढ़ेंगी। अतः प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षकार को वादगत् भूमि के बाबत् मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 27–08–2019 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे आज दिनांक 19/7/22 को लिखाया जाकर द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर